राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 26 DEC 2024

सं. एफ. 2(15)वित्त/कर/2010पार्ट-102:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(15) वित्त/कर/2010पार्ट-102 दिनांक 20.11.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : नवम्बर 20, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2024 के अधीन पात्र उद्यमों के पक्ष में संनिर्माण के साथ या बिना भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर निम्नानुसार छूट दी जायेगीः-

1. स्टाम्प शुल्क के 75 प्रतिशत की छूट, स्कीम के अधीन समुचित प्राधिकारी/समिति द्वारा जारी हकदारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय दी जायेगी; और
2. लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त स्टाम्प शुल्क के 25 प्रतिशत की छूट, स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उद्यम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगीः

किन्तु स्कीम में उल्लिखित शर्तों में से किसी के भंग के मामले में, इस अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क पर दी गयी छूट स्कीम के उपबंधों के अनुसार ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(सं. एफ. 2(15)वित्त/कर/2010पार्ट-102)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(डॉ0 खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव''

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. आयुक्त, उद्योग, उद्योग भवन, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
8. निदेशक, पर्यटन विभाग।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव